

विषय:

एफ 13/462/2015/1-25

①  
FPA  
8/11/15  
का विभाग

याचिका क्रमांक 16.11.15/2015 द्वारा श्री सोनोहरवाल  
जिला-उमरिया, मप्र विरुद्ध मप्र शासन  
रवाना -0-

पंजी क्रमांक / दि. / 2015  
दिनांक- 9/11/15

कृपया याचिका का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय  
उच्च न्यायालय, जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर/मालिका द्वारा श्री/  
श्रीमती सोनोहरवाल जिला-उमरिया  
मप्र द्वारा 9/11/15 के सबध में दायर  
याचिका स्वीकार करती हुए सुनवाई दिनांक 23/11/2015 को नियत  
है।

प्रकरण में निम्नांकित को प्रतिवादी बनाया गया है:-

- (1) प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति क.विभाग, भोपाल
- (2) आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल
- (3) ~~सहायक आयुक्त, कोष एवं लेखा, पेंशन, रीवा~~  
~~कलेक्टर जिला-मध्यप्रदेश~~  
~~जिला पेंशन अधिकारी - रीवा, उमरिया~~  
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-उमरिया, म.प्र.
- (2) महायुक्त, जिला, एवं प्रान्त प्रशासक, 4  
अतः याचिका में मध्यप्रदेश शासन की ओर से माननीय न्यायालय  
में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु  
नस्ती कृपया आयुक्त, आदिवासी विकास को अनिवार्य प्रस्तुत है।

4502/PS/TWD  
16.11.15  
वी.ए./सीटीडी  
725 दिनांक 23/11/15  
20/11/15  
23/11/15

0/5  
0.5.3.  
जो

20/11/15

16/11

123 NOV 5

अ.पि.व.  
ACCA  
7B

24/11/15



F13/462/15/125

16413

(2)  
मंजूर  
का विभाग

उन्नीस-२ सचिवालय

विषय:- याचिका क्रमांक DP 12295/15-के मोहम्मद  
इमरान खान सेवानिवृत्ति पत्र प्राप्त पाठक जिला  
उमरिया, बिहार में प्रशासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ ले

कार्यालयीन आदेश दिनांक

३/१/२०१६ द्वारा AC उमरिया को बर  
नियुक्त किया गया है। आदेश की  
व्याप्ति संलग्न कर शासन नसी  
OSD को अधिकृत।

(8444)

अथवा

AC

अथवा संयोजक

24.2.16

24/2/16

21.3.16

43

OSD

वि.प्र.को.

प्रतिरक्षण आदेश है, नसी

विधि विभाग के अधिकृत

उत्तर

O.S.D.

D.S.

विधि विभाग

21/3

21.3.16

21/3

M502/25/7700  
01-3-16

402/61/वि.प्र.16  
02/3/16

मोहम्मद  
इमरान



8660  
**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**

Pro 16413/2015

WP/16413/2015

From

Kishore Pithawe  
Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Jabalpur

On Merit / IR

Fixed for 23-11-2015

WP-DA-3

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh,  
Thr. Principal Secretary Ministry Of Tribal  
Welfare Department Vallabh Bhawan,  
Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 09-10-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo  
Warranto) No. **WP/ 16413/ 2015**

Sir/Madam,

ब.प्र.  
11-15

I am directed to inform you that one **Mohd. Islam Khan** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/16413/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **23-11-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

Your faithfully

*[Signature]*

DEPUTY REGISTRAR





कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/स्था07/बी/8660/2015/211

भोपाल, दिनांक 21/1/16

नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 16413/15 मो. इस्लाम खान, से.नि.हेडमास्टर, जिला उमरिया विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/196/2001/25/1 दिनांक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

**सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास उमरिया (मोप्रो)** को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।
2. समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा ।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन /उत्तर तैयार करवाएगा ।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट ।
  - (ख) प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
  - (घ) प्रकरण के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
7. प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन करना ।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये ।



12. प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये।
13. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
14. प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रहित करें।
15. प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च/उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाये और निर्धारित (निर्णीत) अवधि में अपील/रिवीजन प्रस्तुत हो जावे।

आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन/स्था.7/बी/8660/2015/212

भोपाल, दिनांक 2/1/16

प्रतिलिपि:-

- 1 महाधिवक्ता जबलपुर म0प्र0।
- 2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल म0प्र0।
- 3 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म0प्र0।
- 4 कलेक्टर, उमरिया म0प्र0।
- 5 संभागीय उपायुक्त/नोडल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, शहडोल/जबलपुर म0प्र0।
- 6 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास उमरिया (म0प्र0) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रहित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रहित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें। मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थगन हटाने की प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें। मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 7 प्रभारी अधिकारी शिक्षा स्थापना शाखा, मुख्यालय भोपाल, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश